न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :–सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 – 09 / 2013

अनवान : –

1. कलावती बेवा मनफूल कौम जाट निवासी मिर्जावाली मैर त0 टिब्बी जिला हनुमागनढ।

अपीलांट

बनाम्

1. ग्राम पंचायत डबली कला जरिये सरपंच ग्राम पंचायत डबली कला त0 टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. सुमन बेवा जगदीश कौम जाट निवासी मिर्जावाली मैर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
3. शमाईल पुत्री स्व0 जगदीश कौम जाट नाबालिग जरिये कुदरती वली माता सुमन बेवा जगदीश कौम जाट निवासी मिर्जावाली मैर त0 टिब्बी जिला हनुमानगढ।

रेस्पोडेन्ट्स

प्रार्थना पत्र
अन्तर्गत धारा 75 लैण्डरैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :–श्री एसजोईया **अपीलांट**
श्री सीएल सीडाना रेस्पॉडेन्ट

निर्णय

दिनांकः 22/8/25

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है है कि चक 13 एजी प0न0 204 / 375 किला न0 4, 7 कुल 0.506है0 आराजी में अपीलांट के पुत्र जगदीश का 1 / 6 हिस्सा का हक व हिस्सा था। अपीलांटा के पुत्र जगदीश के फौत होने के बाद ग्राम पंचायत डबली कला द्वारा दफा हाजा में वर्णित आराजी का विरास्तन इंतकाल न. 391 दिनांक 22.8.13 को रेस्पोडेन्टान संख्या 2 व 3 के पक्ष में तस्दीक कर दिया जो कि निम्न आधारो पर काबिल खारिजी के है । ग्राम पंचायत डबली कला द्वारा स्वीकृत किया गया इंतकाल न. 391 दिनांक 22.8.13 कतई गलत विधि विरुद्ध व रुहेदाद मिसल के है जो कि काबिल खारिजी के है । अपीलाधीन इंतकाल स्वीकृत किए जाने से पूर्व अपीलांटा को कोई सूचना नही दी गई। अपीलाधीन इंतकाल यकतरफा तौर पर पारित किया गया है, जो इसी आधार पर काबिल खारिजी के है । अपीलांटा के पुत्र जगदीश के फौत होने के बाद उसके नाम से अंकित आराजी मे अपीलांटा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रथम श्रेणी की वारिस होने के कारण रेस्पोडेन्टान संख्या 2 व 3 के साथ ब.हि.ब. की हकदार थी इसलिए अपीलाधीन इंतकाल अपीलांटा व रेस्पोडेंटान संख्या 2 व 3 के पक्ष में ब. हि. ब. स्वीकृत किया जाना चाहिए था, इसके बावजूद भी रेस्पोडेंट संख्या 1 ने अपीलाधीन इंतकाल रेस्पोडेटांन संख्या 2 व 3 के पक्ष में स्वीकृत कर दिया जो कि विधि विरुद्ध है। अतः इसी आधार पर अपीलाधीन इंतकाल खारिज किए जाने योग्य है। अपीलाधीन इंतकाल विधि के विरुद्ध स्वीकृत किया गया है जो काबिल खारिजी के है । अपीलांटा बेवा औरत है जो ग्रामीण व अनपढ है

जिसे अपीलाधीन इंतकाल का पूर्व में कोई ज्ञान व इल्म नही था । रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के द्वारा सहायक कलेक्टर टिब्बी के समक्ष अपीलाधीन इंतकाल मे वर्णित आराजी में 1/2 हिस्सा की घोषणा का वाद पत्र पेश करने पर, अपीलांटा दिनांक 27.09.13 को पटवारी हल्का के पास अपनी कृषि भूमि के कागजात लेने के लिए गई तो अपीलांटा को अपीलाधीन इंतकाल का ज्ञान व इल्म हुआ, तब अपीलांटा ने उसी रोज पटवारी हल्का से अपीलाधीन इंतकाल की प्रतिलिपि प्राप्त की तथा दिनांक 28 व 29.9.13 को अवकाश होने के कारण दिनांक 30.9.13 को अधिवक्ता से सम्पर्क किया तो अधिवक्ता ने बताया कि इस इंतकाल की अपील करनी पड़ेगी तब प्रार्थिया अधिवक्ता की फीस व खर्चा का इंतजाम करने के लिए अपने गांव चली गई और आज बिना किसी देरी के अपील पेश कर रही है, इसलिए अपील अपीलांटा इल्म से अंदर मियाद है। मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र अलग से पेश है । रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 अपीलाधीन इंतकाल के जरिए अपने नाम से दर्ज आराजी को रहन, बैय तथा अन्य किसी प्रकार से अंतरित करने की धमकी दे रहे है, ऐसी स्थिति में अपीलांटा इस आशय का स्थगन आदेश प्राप्त करने की अधिकारी व दावेदार है कि वे अपीलाधीन इंतकाल मे वर्णित आराजी को रहन बैय तथा अन्य किसी प्रकार से अंतरित करने से ममनू व बाज रहे। ग्राम पंचायत डबली कला द्वारा स्वीकृत इंतकाल न. 350 के खिलाफ अपील पेश की जा रही है जो अदालतहाजा के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है तथा इल्म से अंदर मियाद है तथा उचित कोर्ट फीस पर तहरीर है । लिहाजा अपील पेश कर अर्ज है कि अपीलाधीन इंतकाल न. 347 दिनांक 22.08.13 को निरस्त फरमाया जाकर अपीलाधीन इंतकाल में वर्णित आराजी अपीलांटा व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के नाम से दर्ज किए जाने का आदेश फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेंटस को जरिये सम्मन तलब किया
गया। सम्मन तामिल के बाद प्रकरण में अधिवक्ता रेस्पोण्डेटस ने लिखित बहस प्रस्तुत कर
निवेदन किया कि **यह कि अपीलार्थीया कलावती** ने नामान्तकरण संख्या – 391 दिनांक 22.08.
2013 चक 13 एजी की कृषि भूमि के नामान्तकरण को निरस्त करवाने की अपील प्रस्तुत की है,
प्रत्यर्थी संख्या–1 के पति व प्रत्यर्थी संख्या – 2 के पिता को अपीलार्थी व अपीलार्थी के पुत्र
सतपाल ने नाजायज तंग व परेशान किया एवं कई बार मानसिक वेदना पहुंचाई व मारपीट की।
अपीलार्थीया प्रत्यर्थी संख्या – 1 के पति व प्रत्यर्थी संख्या – 2 के पिता जगदीश पर इस बात
का दबाव डालती थी कि वह अपनी समस्त सम्पत्ति का हिस्सा बड़े भाई सतपाल को दे देवे ।
मनफूलराम की मृत्यु के बाद अपीलार्थीया व सतपाल जगदीश की सम्पत्ति को हड़प्प करने की
नियत से जगदीश को अत्यधिक तंग व परेशान करने लगे व अपीलार्थीया व सतपाल जगदीश से
लड़ाई–झगड़ा करते एवं उसे जान से मारने की धमकी देते एवं सतपाल जगदीश की लड़की के
साथ गाली गलौच करता । अपीलार्थीया जगदीश को यह भी धमकी देती कि अगर वह अपनी
समस्त चल व अचल सम्पत्ति सतपाल को नही देगा तो वह आत्महत्या कर जगदीश पर इल्जाम
लगा देगी एवं अपीलार्थीया व सतपाल अक्सर यह कहते थे कि अगर जगदीश मर जाये तो
उनका जीवन सुखी हो जाये, अगर जगदीश जिन्दा रहा तो अपीलार्थीया व सतपाल को मरना
पड़ेगा जिस कारण जगदीश अत्यधिक मानसिक दबाव व परेशानी में रहने लगा। प्रत्यर्थी संख्या
– 2 व उसके भाई साहबराम ने कई बार कलावती को समझाया कि वह एवं सतपाल जगदीश
को इतना तंग व परेशान नही करें लेकिन कलावती व सतपाल अपनी हरकतों से बाज नही
आये। कलावती व जगदीश बार–बार जगदीश को पैतृक सम्पत्ति में से हिस्सा देने से इन्कार

करने पर उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर आत्महत्या हेतु उकसाते रहे जिससे तंग आकर प्रत्यर्थी संख्या – 2 के पति व 3 के पिता जगदीश ने कीटनाशक दवाई पीकर आत्म हत्या कर ली जिससे दिनांक 02.07.2013 को जगदीश की मृत्यु हो गयी । जगदीश की मृत्यु होने पर सुमन के भाई साहबराम पुत्र श्री चन्दूराम जाति जाट ने दिनांक 03.07.2013 को थाना पुलिस तलवाड़ा में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि प्रार्थी की बहन सुमन का विवाह जगदीश पुत्र मनफूल के साथ किया था । प्रार्थी के बहनोई की मां कलावतीदेवी व भाई सतपाल प्रार्थी के बहनोई को अक्सर तंग व परेशान करते थे । प्रार्थी के बहनोई की मां कलावती व सतपाल प्रार्थी के बहनोई पर इस बात का दबाव डालते थे कि वह अपनी पैतृक सम्पत्ति का हिस्सा अपने बड़े भाई सतपाल को दे देवे। प्रार्थी के बहनोई जगदीश के पिता मनफूलराम की मृत्यु के बाद कलावतीदेवी व सतपाल ने समस्त पैतृक सम्पत्ति हड़प्पने की नियत से प्रार्थी के बहनोई को अत्यधिक तंग व परेशान करता शुरू कर दिया। कलावती व सतपाल अक्सर प्रार्थी के बहनोई जगदीश से लड़ाई झगड़ा करते। उसे जान से मारने की धमकी देते और सतपाल प्रार्थी की बहन व उसकी पत्नी से गाली गलौच करता । कलावती देवी पैतृक सम्पत्ति सतपाल को न दिये जाने की सूरत में स्वंय आत्महत्या कर प्रार्थी के बहनोई पर इल्जाम लगाने की धमकी देती । कलावती देवी व सतपाल प्रार्थी के बहनोई को अक्सर कहते कि अगर यह मर जाये तो हमारा जीवन सुखी हो जाये, अगर यह जिन्दा रहा तो हमे मरना पड़ेगा। जिस कारण प्रार्थी का बहनोई अत्यधिक मानसिक दबाव व परेशानी में रहने लगा । प्रार्थी की बहन द्वारा प्रार्थी को इस सम्बन्ध में बताये जाने पर प्रार्थी ने कई बार कलावती देवी व सतपाल को समझाया कि वे जगदीश को परेशान न करें परन्तु कलावती व सतपाल अपनी हरकतों से बाज नही आये। कलावतीदेवी व सतपाल प्रार्थी द्वारा कई बार पंचायत करने के बावजूद प्रार्थी के बहनोई को पैतृक सम्पति में से हिस्सा देने से इन्कार करते रहे व उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करते रहे व उसे आत्महत्या हेतु उकसाते रहे। कलावती व सतपाल की इन हरकतों से तंग आकर जगदीश ने दिनांक 02.07. 2013 को कीटनाशक दवा पीकर आत्महत्या कर ली। इसलिए कलावती व सतपाल के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्यवाही की जावे । प्रत्यर्थी संख्या – 2 के भाई साहबराम द्वारा थाना पुलिस तलवाड़ा प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने पर दिनांक 03.07.2013 को सतपाल व विजय श्री, सुनीता, रोशनी पिव मनफूलराम ने अपनी स्वतंत्र इच्छा व विवेक से रोबरू पंचायत इस आश्य का शपथपत्र निष्पादित करवाकर अनुप्रमाणित करवाया कि मनफूलराम के नाम से चक 10 ए.जी., चक 4 बी. आर.एन., चक 5 एम. जेड़. डब्ल्यु., चक 12 ए. जी. व चक 1 बी. पी. एम. रोही बन्नासर में कृषि भूमि है जिसका विरासतन इन्तकाल मनफूलराम के वारिसान् के नाम से दर्ज हो चुका है। सतपाल व उसकी बहनों व कलावती ने इस आश्य का शपथपत्र निष्पादित करवाकर अनुप्रमाणित करवाया कि मनफूलराम की उपरोक्त चकूकों में कृषि भूमि एवं रिहायशी मकान, दुकान एवं चल व अचल सम्पत्ति जहां कहीं भी स्थिति है उसमें प्रत्यर्थी संख्या – 2 व 3 का 1/2 हिस्सा होगा एवं सतपाल का 1/2 हिस्सा होगा । सत्यपाल गोदारा एवं ललित कुमार पुत्र सत्यपाल गोदारा व अन्य व्यक्तियों ने एकराय होकर प्रत्यर्थी संख्या – 2 व 3 की कृषि भूमि पर नाजायज कब्जा करने के आशय से दिनांक 07.07.2024 को प्रत्यर्थीगण संख्या – 2 व 3 की कृषि भूमि में आये व प्रत्यर्थीया स्माईल के मामा सुभाष की हत्या कर दी, जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या – 150, दिनांक 08.07.2024 को थाना पुलिस तलवाड़ा में दर्ज करवाई गयी। बाद अन्वेषण सत्यपाल व ललित कुमार का चालान पेश कर दिया गया जो वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या -- 150 व अंतिम परिणाम चार्जशीट एवं पोस्टमार्टम

रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतियां संलग्न लिखित अपील हैं । हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा–25 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति अथवा स्त्री किसी ऐसे व्यक्ति की हत्या कर देता है अथवा दुष्प्रेरण करता है अथवा किसी भी प्रकार से चोट पहुँचाता है, जिससे कि उसके हक की कृषि भूमि उसे प्राप्त हो जावे तो ऐसे व्यक्ति अथवा स्त्री को मृतक व्यक्ति अथवा स्त्री की कोई सम्पत्ति प्राप्त नही हो सकती, इस सम्बन्ध में माननीय आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय का न्यायदृष्टांत ए.आई.आर. 1970, पेज – 407 एवं माननीय बम्बई उच्च न्यायालय का न्यायदृष्टांत बअनवानी पवन जैन बनाम विशाल, सुभाष, आदि निर्णय दिनांक 02.07.2024 की छायाप्रति संलग्न है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि कोई व्यक्ति, जिसने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304 बी के अर्थ मे दहेज हत्या का कारण बनाया है, वह हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 25 के अन्तर्गत दहेज हत्या की शीकार महिला की सम्पत्ति के उत्तराधिकार के लिए अयोग्य हो जाता है एवं यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि हत्या करने वाला या हत्या के लिए उकसाने वाला व्यक्ति मारे गये व्यक्ति की सम्पत्ति को विरास्तन में पाने से अयोग्य होगा। दोनो न्यायदृष्टांत की छायाप्रतियां संलग्न हैं । ऐसी स्थिति में अपीलार्थीया एवं सत्यपाल गोदारा मृतक जगदीश की कोई भी कृषि भूमि अथवा अन्य अचल सम्पत्ति प्राप्त करने के अधिकारी नही हैं । अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन कि अपील अपीलार्थीया सव्यय निरस्त फरमायी जावे ।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम अपील अपीलांट के निर्णय से पूर्व सीपीसी में वर्णित प्रावधानों के अनुसार मियाद बिन्दु का निर्धारण किया जाना न्यायालय के अभिमत में एक आवश्यक बिन्दु है। हस्तगत अपील अपीलांट ने नामान्तरण सं0 391 दिनांक 22.08.2013 निरस्ती हेतु प्रस्तुत की हैं। अपींलाट ने उक्त अपील दिनांक 03.10.2013 को न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की हैं। अधिवक्ता अपींलाट के बहस में मियाद बिन्दु पर निवेदन व अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र के अवलोकन के बाद न्यायहित में अपील अपीलांट अन्दर मियाद मानकर उक्त अपील को गुणावगुण पर निस्तारित किया जाना आवश्यक समझते है। अपींलाट कलावती बेवा मनफुल ने अपने पुत्र जगदीश पुत्र मनफुल के फौत होने पर जगदीश की माता अपींलाट को छोड़कर उसके वारिसान रेस्पोण्डेटस सं0 2 व 3 के पक्ष में तस्दीक विरासतन नामान्तरण सं0 391 दिनांक 22.08.2013 को निरस्त करवाने हेतु उक्त अपील प्रस्तुत की है। न्यायालय के अभिमत में किसी निर्वसीयती खातेदार की मृत्यु होने पर उसकी भूमि उसके समस्त विधिक वारिसान के नाम दर्ज होनी चाहिए परन्तु पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार मृतक खातेदार जगदीश का विरासतन नामान्तरण **राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 40 में वर्णित अभिधारियों का** उत्तराधिकार–"**कोई अभिधारी निर्वसीयत मर जाये तो उसकी जोत में का उसका हित स्वीय विधि के अनुसार जिसके वह अपनी मृत्यु के समय अध्यधीन था न्यागत होगा**" एवं **हिन्दू उतराधिकार अधिनियम वर्णित प्रावधानों के अनुसार तस्दीक होना प्रतीत नहीं होता है।** पत्रावली में वर्णित धारा 25 के संदर्भ में पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपींलाट के विरूद्व की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0 156 दिनांक 07.11.2013 का निस्तारण माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट टिब्बी द्वारा दिनांक 18.10.2016 को साक्ष्य सबूतों एवं गवाहन के अभाव में तथा पुलिस की एफ.आर के आधार पर खारीज की जा चुकी है। एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0 150 दिनांक 08.07.2024 का संबंध पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजो से

अपीलांट से नहीं होना जाहिर है। हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 25 के संबंध में यह है कि धारा 25 के प्रावधान तभी लागू होते जब सक्षम न्यायालय द्वारा अपीलांट को मृतक खातेदार की हत्या के लिए दोषी घोषित कर दिया हो। परन्तु पत्रावली में रेस्पॉंडेट्स द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है जो कि धारा 25 के प्रावधानों से सुसंगत होकर अपीलांट पर लागू होता हो। इस प्रकार उपरोक्त विवेचानुसार एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं तहसीलदार टिब्बी को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे नामान्तरण सं0 391 दिनांक 22.08.2013 को अपास्त कर हस्तगत प्रकरण में मृतक खातेदार जगदीश के समस्त विधिक वारिसानों की जांच करते हुए उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान कर एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 40 एवं हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत पुनः विधि अनुसार नामान्तरण तस्दीक की कार्यवाही करें।

आदेश आज दिनांक 22/8/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी जिला हनुमानगढ़

उपखण्ड अधिकारी टिब्बी (हनुमानगढ़)

टिब्बी

NOTE (संशोधन) 26/8/25 → उक्त आदेश 22/8/25 में रेस्पॉन्डेंट्स नं० 1 व निर्णय में वर्णित ग्राम पंचायत डबलीकलां के स्थान पर ग्राम पंचायत मिर्जावाली मेर पढ़ा जावे।

उपखण्ड अधिकारी
टिब्बी (हनुमानगढ़)